भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *109

27.07.2026 को उत्तर के लिए

ओडिशा में पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और सीसीयूएस संबंधी व्यय

*109. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ओडिशा के कंधमाल और नयागढ़ जिलों में जंगलों में लगने वाली आग की रोकथाम के लिए उपग्रह अलर्ट और ड्रोन तैनात किए गए हैं और यदि हां, तो वन सुरक्षा समितियों को प्रदान किए गए वित्तीय प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दासपल्ला क्षेत्र के आस-पास बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य और सतकोसिया बाघ अभयारण्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान आवंटित केन्द्रीय धनराशि का पूर्ण उपयोग किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बौद्ध और कंधमाल जिलों में जनजातियों और अनुसूचति जाति समुदायों के लिए कृषि-वानिकी परियोजनाएँ चल रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान वन विभाग द्वारा उपयोग में लाई गई राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) विस्तार वृक्षारोपण निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान कार्बन प्रग्रहण, उपयोग और भंडारण (सीसीसूएस) प्रौद्योगिकी निधि के अंतर्गत कुल कितना व्यय किया गया है और दरिंगबाड़ी और बेलघर जैसे पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्रों में जीरो प्लास्टिक प्रोटोकॉल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"ओडिशा में पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और सीसीयूएस संबंधी व्यय" के संबंध में दिनांक 27.07.2026 को उत्तर के लिए श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही द्वारा पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 109 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) ओडिशा के राज्य वन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, वनाग्नि प्रबंधन के लिए उपग्रह अलर्ट का उपयोग किया जाता है। तथापि, रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा के कंधमाल और नयागढ़ जिलों में वनाग्नि प्रबंधन में ड्रोन तैनात नहीं किए गए हैं।

मंत्रालय ने अपने संगठन नामतः भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून के माध्यम से, ओडिशा और अन्य हितधारकों सहित राज्य वन विभागों को उपग्रह आधारित वनाग्नि अलर्ट प्रसारित करने के लिए एक मजबूत उपग्रह इमेजरी-आधारित प्रणाली, फास्ट 3.0 (वन अलर्ट प्रणाली) तथा 'वन अग्नि जियो-पोर्टल' तैयार किया है। ये अलर्ट एमओडीआईएस संवेदकों (1 किमी × 1 किमी) और एसएनपीपी-वीआईआईआरएस संवेदकों (375 मीटर × 375 मीटर) का उपयोग करके उत्पन्न किए जाते हैं।

ओडिशा के राज्य वन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान कंधमाल और नयागढ़ जिलों में वनाग्नि प्रबंधन के लिए 315 वन सुरक्षा समितियों (वीएसएस) को 26.70 लाख रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। इनमें से, फुलबनी वन मंडल में 23 वन सुरक्षा समितियों को ₹ 5.00 लाख, नयागढ़ वन मंडल में 150 वन सुरक्षा समितियों को ₹ 7.50 लाख और बल्लीगुडा वन मंडल में 142 वन सुरक्षा समितियों को ₹ 14.20 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। उक्त अवधि के दौरान महानदी वन्यजीव मंडल के अंतर्गत वन सुरक्षा समितियों को कोई वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया गया था।

(ख) मंत्रालय ने विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बैसिपल्ली वन्यजीव अभयारण्य सहित सतकोसिया बाघ रिजर्व को 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस-आईडीडब्ल्यूएच) के अंतर्गत 'बाघ परियोजना' घटक के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसका विवरण निम्नानुसार हैं:

वर्ष	आवंटित एवं उपयोग की गई निधि (राशि रु. में)
2023-24	60,42,412
2024-25	26,96,375
2025-26	33,14,955

(ग) ओडिशा राज्य वन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, बौद्ध और कंधमाल जिलों में जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए कृषि-वानिकी परियोजनाओं पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया है। तथापि, वर्ष 2024-25 के दौरान काम्पा के अंतर्गत ओडिशा के बौध जिले में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग-57 के साथ 2.59 करोड़ रुपये के व्यय से प्रतिपूरक वनीकरण किया गया जिसमें 49 किलोमीटर सड़क को शामिल किया गया है।

(घ) सीईओ, राज्य प्राधिकरण, काम्पा, ओडिशा द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान दरिंगबाड़ी और बेलघर जैसे पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों में शून्य-प्लास्टिक प्रोटोकॉल के साथ कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (सीसीयूएस) प्रौद्योगिकी निधि के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया है।
